बैठक

संख्या-2/2017/1011/31-2017- 03/2017

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
(संलग्नक-2 के अनुसार)
उ0प्र0 शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2017**

विषयः- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठकों का विभागवार तिथि एवं समय।

महोदय,

कृपया विभाग के पत्र संख्या-906/31-2017-03/2017 दिनांक 30 जून, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संकल्प पत्र के बिन्दुओं तथा 100 दिवस में अब तक अपूर्ण कार्यों की प्रस्तावित योजनाओं/प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य-योजना बनाकर उन कार्यों को 20 जुलाई, 2017 तक पूर्ण कराने की अपेक्षा की गई है। 2- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के चतुर्दिश विकास, जनसामान्य के कल्याण एवं किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से संकल्प-पत्र के माध्यम से अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की घोषणा की गयी है। इस हेतु समस्त विभागों द्वारा कार्य-योजना का निर्माण कर लिया गया होगा। इस प्रकार निर्मित विभागीय कार्य-योजनाओं की समीक्षा निम्न बिन्दुओं पर करने का निर्णय लिया गया है:-

1) संकल्प पत्र में विभाग से संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं/कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति/समय-सीमा (लक्ष्य सहित) - यहां यह उल्लेखनीय है कि इस हेतु विभागों को पूर्व से संचालित योजनाओं में परिवर्तन/संशोधन करते हुए बजटीय व्यवस्था करनी होगी अथवा एक नई योजना/कार्यक्रम को सक्षम स्तर से शीघ्र अनुमोदित कराकर क्रियान्वित कराना होगा।
2) विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई विकास की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति का प्रस्तुतीकरण- प्रस्तुतीकरण में योजनाओं/कार्यक्रमों के वित्तीय लक्ष्य के साथ-साथ आउटपुट व आउटकम का उल्लेख अवश्य किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3) भारत सरकार की विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओ के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति तथा भारत सरकार से इन योजनाओं में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त किये जाने की भावी रणनीति का प्रस्तुतीकरण।

4) विभागों द्वारा आन्तरिक प्रक्रियाओं को और दक्ष, सुदृढ़ एवं सरल बनाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही - (संलग्नक-1 के अनुसार)

3- इन बैठकों में पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण अधिकतम 08 स्लाइडों में हो तथा प्रत्येक स्लाइड में अधिकतम 06 पंक्तियां हों।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में संलग्नकों (संलग्न-1 में एवं संलग्नक-2 में विभागों की तिथि एवं समय) के अनुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उनके सभा कक्ष में बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया हैं। कृपया आपके विभाग से सम्बन्धित बैठक की निर्धारित तिथि के अनुसार पूर्ण तैयारी के साथ यथासमय स्वयं बैठक कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- 1- विभागों द्वारा आन्तरिक प्रक्रियाओं के सुदृढ़ एवं दक्ष बनाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही

2- बैठक हेतु विभागों की तिथि एवं समय

भवदीय,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या- 2/2017/1011(01)/31-2017- 03/2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विवेक वार्ष्णेय)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1

1. विभागीय बजट का भौतिक गतिविधियों से लिंक स्थापित करते हुए मासिक आधार पर बजट की समीक्षा किया जाना।
2. विभाग के कार्यालयध्यक्ष तथा मण्डलीय व जनपदीय अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना।
3. शासन स्तर पर विभागीय सचिवों, विशेष सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा उप सचिवों के साथ विभागीय नीति व नियोजन के संबंध में साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित किया जाना।
4. शासन स्तर पर विभिन्न अनुभागों का नियमित निरीक्षण करने का रोस्टर तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. शासन में व्यवहरित होने वाले विभिन्न नीतिगत व नैत्यिक कार्यों हेतु मा0 विभागीय मंत्री स्तर पर अधिकारों का प्रतिनिधायन करना।
6. विभाग के विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों हेतु अधिकारों के प्रतिनिधायन की स्पष्ट व्यवस्था स्थापित किया जाना।
7. विभाग में ई0-प्रोक्योरमेन्ट की व्यवस्था सभी स्तरों पर लागू किया जाना।
8. विभागीय वेबसाइट को अद्यावधिक रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
9. विभागीय समीक्षा बैठकों हेतु विभिन्न स्तरों से प्राप्त किए जाने वाले आंकड़ों की आन-लाइन रियल-टाइम व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किया जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
10. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सामान्य तथा विशिष्ट क्रिया-कलापों के सम्पादन हेतु क्षमता संवर्धन की कार्य-योजना।
11. विभाग के सभी शासनादेशों को ई-शासनादेश पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाना।
12. विभाग के द्वारा प्रस्तावित रिफार्म एजेण्डा के बिन्दुओं का निर्धारण तथा क्रियान्वयन योजना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-2

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठकों हेतु विभागवार तिथि/समय

क्र.सं.	दिनांक	विभाग/विभागों का नाम	समय प्रातः	विभाग/विभागों का नाम	समय सायं
1	25.07.2017	लोक निर्माण	06:30-07:30	-	-
2	26.07.2017	आवास एवं शहरी नियोजन	10:30-11:30	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ आयुष	06:30-07:30
3	27.07.2017	नगर विकास	10:00-11:00	बेसिक शिक्षा	06:30-07:30
4	28.07.2017	ग्राम्य विकास	10:30-11:30	सिंचाई एवं जल संसाधन	06:30-07:30
5	31.07.2017	-	-	ऊर्जा	06:30-07:30
6	01.08.2017	कृषि	10:00-11:00	बाल विकास एवं पुष्टाहार	06:30-07:30
7	02.08.2017	चिकित्सा शिक्षा/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	10:30-11:30	उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा /व्यावसायिक शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा	06:30-07:30
8	03.08.2017	समग्र ग्राम विकास/ सहकारिता/ लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल	10:30-11:30	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	06:30-07:30
9	04.08.2017	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	10:30-11:30	-	-
10	08.08.2017	पशुधन/मत्स्य/दुग्ध विकास	10:00-11:00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ पंचायती राज/ श्रम	06:30-07:30
11	09.08.2017	अतिरिक्त ऊर्जा/ राज्य सम्पित्त	10:00-11:00	संस्कृति /खाद्य एवं रसद	06:30-07:30
12	10.08.2017	गृह/सतर्कता/ कारागार/ होमगार्ड	11:30-12:30	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास /सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग	06:30-07:30
13	11.08.2017	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग /खादी एवं ग्रामोद्योग/ रेशम	10:30-11:30	वित्त/संस्थागत वित्त/ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन /मनोरंजन कर/ वाणिज्य कर	06:30-07:30
14	14.08.2017	आबकारी/भूतत्व एवं खनिकर्म/वन/ पर्यावरण /राजस्व	10:30-11:30	पर्यटन/सूचना/धर्मार्थ कार्य/ सचिवालय प्रशासन /लोक सेवा प्रबन्धन	06:30-07:30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15	16.08.2017	समाज कल्याण/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण /अल्पसंख्यक कल्याण/ पिछड़ा वर्ग कल्याण/ महिला कल्याण	10:30-11:30	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स/ परिवहन	16.08.2017 06:30-07:30
16	17.08.2017	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी /खेल/युवा कल्याण	10:30-11:30	-	-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।